सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
देहरादून

विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2012 वीडियोग्राफी की व्यवस्था हेतु

क्रमांक .... **टैण्डर फार्म** **टैण्डर फार्म 100+15=115 रू0 प्रति फार्म**

फर्म का नाम एवं पता ....
मैं ....(नाम) निविदा संख्या–361/29–5(वि.स.)/2011–2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2011 में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपनी निविदायें निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ :––

कम संख्या	सामग्री का विवरण	सामग्री का मानक	दर रूपये में समस्त टैक्स (वैट एवं अन्य सभी करों) सहित	अन्य
1	2	3	4	6
1–	वीडियो कैमरा, वीडियो ग्राफर सहित	6 घंटे तक के लिये		
	डिजिटल कैमरा, वीडियो ग्राफर सहित	6 घंटे तक के लिये		
2–	वीडियो कैमरा, वीडियो ग्राफर सहित	6 से 12 घंटे तक के लिये		
	डिजिटल कैमरा, वीडियो ग्राफर सहित	6 से 12 घंटे तक के लिये		
3–	वीडियो कैमरा, वीडियो ग्राफर सहित	12 से 18 घंटे तक के लिये		
	डिजिटल कैमरा, वीडियो ग्राफर सहित	12 से 18 घंटे तक के लिये		
4–	वीडियो कैमरा, वीडियो ग्राफर सहित	18 से 24 घंटे तक के लिये		
	डिजिटल कैमरा, वीडियो ग्राफर सहित	18 से 24 घंटे तक के लिये		
5–	खाली वीडियो कैसट	एक प्रति		
6–	खाली वीडियो सी.डी.	एक प्रति		
7–	वीडियो कैसट/सी.डी./डी.वी.डी. से एक अतिरिक्त वीडियो सी.डी./डी.वी.डी. तैयार करने हेतु	एक प्रति		
8–	प्रोजेक्टर	एक प्रति (प्रति दिन के लिये)		

दिनांक .... फर्म की स्पष्ट मुहर : हस्ताक्षर ....

टैण्डर से सम्बन्धित शर्ते एवं प्रतिबन्ध :–

1. टैण्डर का फार्म किसी भी कार्य दिवस में जिला निर्वाचन कार्यालय, देहरादून से रूपये 115–00 में प्राप्त किया जा सकता है।

2. फर्म को ₹ 05,000/–(रूपये पांच हजार) की धनराशि जमानत के रूप मे टैण्डर के साथ ही जमा करनी होगी अन्यथा टैण्डर अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।
3. निविदा की दर अंकों में हों निविदा में लिखित दर आदि पर किसी कटिंग/ओवर राइटिंग होने पर निविदादाता पुनः स्पष्ट हस्ताक्षर कर दें।
4. वीडियोग्राफी के कार्य करने वाले वेण्डर को किसी भी समय या दिनांक को आवश्यक संख्या में मांग किये जाने पर वीडियो केमरा सहित वीडियोग्राफर की व्यवस्था करनी होगी। वीडियोग्राफर की मांग किये जाने पर तत्काल वीडियो कैमरा सहित वीडियोग्राफर उपलब्ध कराने होगें।
5. वीडियोग्राफी के कार्य करने वाले वेण्डर द्वारा समस्त वीडियोग्राफर से प्रतिदिन के कार्य का विवरण का अभिलेख रखना होगा तथा प्रतिदिन किये गये कार्य को जिले के प्रभारी अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापन करने के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
6. प्रत्येक दिन की वीडियोग्राफी की सी.डी./डी.वी.डी. तैयार कर उसी दिन उपलब्ध करानी होगी, जिसका व्यय निविदादाता स्वयं वहन करेगा।
7. देयकों का भुगतान शासन से आवंटन प्राप्त होने पर ही किया जायेगा ।
8. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
9. निर्धारित समय के उपरान्त प्राप्त किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. वीडियोग्राफर को वीडियोग्राफी हेतु जनपद में कही भी भेजा जा सकता हैं। वीडियोग्राफी के समय विडियोग्राफर को भोजन एवं आने–जाने की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।
11. वीडियोग्राफर द्वारा वीडियोग्राफी करते समय वीडियो कैमरा में दिनांक एवं समय भी अंकित करना होगा। वीडियोग्राफी की गयी प्रत्येक कैसट पर वीडियोग्राफी का दिनांक, वीडियोग्राफी का स्थान तथा प्रयोजन अंकित कर देना होगा।
12. वीडियोग्राफर द्वारा कार्य न किये जाने पर कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. दरों का निर्धारण न्यूनतम आधार एवं गुणवत्ता के आधार पर तय किया जायेगा।
14. समय–समय पर दिये गये निर्देशो का अनुपालन करना होगा।
15. यदि पृथक–पृथक निविदादाताओं द्वारा अलग–अलग मदों (आइटमों) के लिए भिन्न–भिन्न न्यूनतम दरें अपनी निविदा में दी गयी हों तो ऐसे मामलों में न्यूनतम दरों के आधार पर निगोशियसन (Negotiation) कर किसी एक फर्म को कार्य दिया जा सकेगा।
16. उपरोक्त वर्णित कार्यो के निर्वहन में बाधा डालना, हस्तक्षेप करना, अनावश्यक पत्र व्यवहार करना, किसी भी प्रकार का दबाव डालना या डलवाना, दूसरी फर्मो के टेण्डर निरस्त करवाने का प्रयास करना, टेण्डर में बहुत अधिक दरें डालना प्रतिदिन की दर/मद के बहुत अधिक बिल प्रस्तुत करना, भुगतान हेतु दबाव डालना, आदि निर्वाचन कार्य के सफल आयोजन में बाधा डालने का प्रयास माना जायेगा तथा ऐसी फर्मो एवं उनकी सहायक/सहयोगी फर्मो को आगामी 5 वर्षो तक काली सूची में डालने की कार्यवाही की जा सकती है तथा अन्य विभागों को ऐसी कृत्य करने वाली फर्मो के बारे में सूचित करते हुये इनसे किसी भी प्रकार के राजकीय/सरकारी कार्य न कराये जाने की अपील की जा सकती है तथा इन फर्मो के विरूद्ध निर्वाचन कार्य में बाधा डालने तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती हैं

मुझे उक्त शर्तो के अधीन कार्य करना स्वीकार्य है।

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैने उपरोक्त शर्ते कमांक 1 से 16 तक का विधिवत अवलोकन कर लिया है। मै यह घोषणा करता हूँ कि यदि मेरे द्वारा उपरोक्त शर्तो के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं किया जाता है, तो निर्वाचन विभाग को पूरा अधिकार होगा कि वह मेरे द्वारा प्रस्तुत बिल की धनराशि में कटौती कर लें तथा स्वीकृत दरों के अनुरूप भुगतान करें। अधिक बिल प्रस्तुत करने के कारण मेरे विरूद्ध विभिन्न प्रकार की जो भी कार्यवाही होगी मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा तथा कभी भी इस पर कोई भी आपत्ति नहीं करूंगा।

दिनांक .... फर्म की स्पष्ट मुहर हस्ताक्षर ....